मु० नं० - 263/2024

से कोर्ट पत्रावली दिनांक 27/8/24 को पेश हो

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

27/8/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 29/8/24 को पेश हो

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

29/8/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है पत्रावली में उपलब्ध प्रा० पत्र, पटवारी तथा पैरोकार तहसीलदार की रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने व बहस को श्रवण करने पर प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राज० भू० राजस्व अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया।

निर्णय आज खुले इजलास में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल दर्ज रजिस्टर होकर नियम से कम के तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
263 / 2024	11 / 06 / 2024	29.08.2024

1. महेन्द्र कुमार पुत्र प्रभुदयाल जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी जगमालपुरा जमवारामगढ जिला जयपुर एवं हाल निवासी प्लॉट नं0 55, जगदम्बा नगर ए, हीरापुरा पावर हाउस के पीछे, अजमेर रोड, जयपुर।
2. श्रीमति कंचनदेवी पत्नि प्रभुदयाल जाति हरियाणा ब्राहमण मूल निवासी जगमालपुरा, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर हाल निवासी प्लॉट नं0 1264, केशव पथ, बरकत नगर जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. रामदयाल पुत्र रामकिशोर जाति हरियाणा ब्राहमण हाल निवासी प्लॉट नं0 381, योगेन्द्र नगर, सीतापुरा, टोंक रोड, जयपुर।
3. श्रीनारायण पुत्र रामकिशोर जाति हरियाणा ब्राहमण हाल निवासी प्लॉट नं0 2 बी, शिव कॉलोनी–डी सांगानेर थाना, टोंक रोड जयपुर।
4. अनिमेश पुत्र रामधन
5. राकेश पुत्र रामधन जाति हरियाणा ब्राहमण हाल निवासी प्लॉट नं0 60, विनायक विहार जामडोली, आगरा रोड, जयपुर।
6. अनिल कुमार पुत्र रामनारायण
7. विनोद कुमार पुत्र रामनारायण
8. अशोक कुमार पुत्र बद्रीनारायण
9. सुरेश कुमार पुत्र बद्रीनारायण

जातियान हरियाणा ब्राहमण निवासी जगमालपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री महेन्द्र शर्मा :– वकील प्रार्थीगण।
श्री सत्यनारायण माहेश्वरी :– वकील अप्रार्थी सं0 2 ता 9

प्रार्थना पत्र बाबत नक्शा व रिकार्ड दुरूस्तीकरण

अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 भू–राज0 अधिनियम

–: निर्णयः–

प्रकरण संक्षेप मे इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता के वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम जगमालपुरा, पटवार हल्का बूज, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर मे कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 381/70 रकबा 0.0300है0, 383/72 रकबा 0.0400है0, 384/74 रकबा 0.8100है0, 386/91 रकबा 0.0500है0, किता 4 कुल रकबा 0.9300है0 प्रार्थी सं0 1 के खातेदारी अनुसार एवं खसरा नम्बर 73 रकबा 0.0600है0 भूमि प्रार्थी सं0 2 एवं अप्रार्थी सं0 2 लगायत 9 के नाम संयुक्त खातेदारी अनुसार दर्ज है तथा वर्तमान खसरा नम्बर 380/70 रकबा 0.0300है0 382/72 रकबा 0.0400है0, 385/74 रकबा 0.8000है0, 387/91 रकबा 0.0600है0, 75 रकबा 0.

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

0100है0, किता 5 कुल रकबा 0.9400है0 भूमि 2 लगायत 9 के नाम संयुक्त खातेदारी अनुसार दर्ज है। जिनके वर्तमान राजस्व नक्शों में हाल सैटलमेंट कार्यवाही के दौरान प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व हक अधिकार एवं साबिक राजस्व नक्शें के विपरित त्रुटिपूर्ण तरमीम होने से आगे विवादित आराजीयात है। भूमि एकीकरण संवत 2020 में खसरा नम्बर 74 रकबा 5 बिस्वा, 76 रकबा 6 बिस्वा, 82 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा, 96 रकबा9 बिस्वा किता 4 कुल रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा अनुसार है। जिनमें से खसरा नम्बर 82 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा मय गै0मु0चाह को एकीकरण में एकीकृत कर शामिल किया गया तत्पश्चात रिकार्ड परिशोधन कार्यवाही के तहत खसरा नम्बर 82 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा में से खसरा नम्बर82/288 रकबा 5 बिस्वा किस्म गै0मु0चाह एवं खसरा नम्बर 82 रकबा6 बीघा 8 बिस्वा भूमि की जमाबन्दी खतौनी अलग–अलग कायम कर दिया गया। जो कि उक्त गै0मु0चाह खसरा नम्बर 82/288 किस्म गै0मु0चाह को राजस्व नक्शें मे कायम नही किया गया। जो कि उक्त खसरा नम्बर 82/288 रकबा 5 बिस्वा किस्म गै0मु0चाह मय पक्का कुआ कोठी, पानी का पुराना टेंक,पशुओं के लिए निर्मितशुदा पक्की खेल अर्सेदराज एकीकरण के पूर्व से स्थित चले आ रहे है, जो कि प्रार्थी सं0 2 एवं अप्रार्थी सं0 2 लगायत 9 के सामलाती है, जिसमें आवागमन हेतु पूर्व दिशा की ओर रास्ता चला आ रहा है। जो कि प्रार्थी सं0 2 एवं अप्रार्थी सं0 2 लगायत 9 का खसरा नम्बर 82/288 रकबा 5 बिस्वा किस्म गै0मु0चाह अनुसार पक्का कुआ कोठी, पानी का पुराना टेंक, पशुओं के लिए निर्मितशुदा पक्की खेल की भूमि में वर्तमान खसरा नम्बर 75 का नक्शा त्रुटिपूर्ण तरमीम किया हुआ है। लेकिन दौराने सेटलमेंट कार्यवाही खसरा नम्बर 82/288 रकबा 5 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 73 रकबा 0.0600है0 भूमि कायम करते हुए खसरा नम्बर 73 के राजस्व नक्शें को प्रार्थी सं0 1 के खातेदारी खसरा नम्बर 384/74 के साबिक खसरा नम्बर 82मि. अर्थात 82/1 अनुसार स्थित भूमि के अन्तर्गत पूर्व उत्तर कार्नर में त्रुटिपूर्ण व अवैध तरमीम कर दिया गया, जिसमें प्रार्थी सं0 1 की खातेदारी भूमि में वर्तमान खसरा नम्बर 73 अनुसार भूमि के राजस्व नक्शें की त्रुटिपूर्ण तरमीम की गई हहै तथा दौराने सैटलमेंट कार्यवाही साबिक खसरा नम्बर 82/288 रकबा 5 बिस्वा गै0मु0चाह से गै0मु0बाडा त्रुटिपूर्ण अंकित व दर्ज कर दिया गया। जो कि उक्त वर्णितानुसार खसरा नम्बर 73 रकबा 0.0600है0 भूमि का वर्तमान राजस्व नक्शा एवं भूमि की किस्म गै0मु0बाडा प्रार्थीगण के खातेदारी व हक अधिकारी एवं मौके कब्जे के विपरित होने से दुरूस्तनीय है, जिसके प्रार्थीगण विधिक अधिकारी है। साबिक खसरा नम्बर 74 रकबा 5 बिस्वा, 76 रकबा 6 बिस्वा, 82 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा, 96 रकबा 9 बिस्वा भूमि के संबंध में तकासमें का राजस्व वाद सं0 98/2005 उनवान प्रभूदयाल बनाम बद्रीनारायण वगैरह में न्यायालय श्रीमान के द्वारा तकासमें हेतु दिनांक 04.07.2006 को अन्तिम निर्णय व डिक्री पारित किया गया, जिसके पालनार्थ इजराय प्रकरण सं0 05/2007 उनवान प्रभूदयाल बनाम बद्रीनारायण वगैरहा में दिनांक 30.10.2007 को अन्तिम निर्णय कर डिक्री पारित किया गया, जिसके अनुशरण मे उक्त भूमियों के संबंध में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व राजस्व नक्शों में तकासमा अमल दरामद किया गया। न्यायालय द्वारा निर्णित तकासमा कार्यवाही में खसरा नम्बर 74/2 रकबा 3 बिस्वा, 76/2 रकबा 3 बिस्वा, 82/1 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, 96/1 रकबा 4 बिस्वा भूमि डिक्रीदार प्रभूदयाल पुत्र श्री रामकिशोर के हित में एवं खसरा नम्बर 74/1 रकबा 2 बिस्वा, 76/1 रकबा 3 बिस्वा, 82/2 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, 96/2 रकबा 5 बिस्वा भूमि अप्रार्थीगण सं0 2 लगायत 9 के हित में मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय रंगीन नक्शे कायम किया गया। उक्त तकासमा कार्यवाही में निर्णय व डिक्री शुदा खसरा नम्बर 82/1 की भूमि में पूर्व उत्तरी कार्नर में वर्तमान खसरा नम्बर 73 रकबा 0.0600है0 का राजस्व नक्शा त्रुटिपूर्ण व अनाधिकृत तरमीम कर दिया गया। इसी प्रकार खसरा नम्बर 76/2 की भूमि में वर्तमान खसरा नम्बर 382/72, एवं खसरा नम्बर 74/2 में 380/70 एवं खसरा नम्बर 96/1, 96/2 में खसरा नम्बर 386/91, 387/91 के राजस्व नक्शों की त्रुटिपूर्ण व अनाधिकृत तरमीम कर दिया गया। उक्त वर्णितानुसार दौराने सैटलमेंट कार्यवाही वर्तमान खसरा नम्बर 73, 380/70, 382/72, 381/70, 383/72, 386/91, 387/91 के राजस्व नक्शों में न्यायालय निर्णय एवं डिक्रीशुदा साबिक नक्शों के विपरित होकर त्रुटिपूर्ण तरमीम है। इसके अलावा वर्तमान खसरा नम्बर 75 को वर्तमान खसरा नम्बर 73 के साबिक खसरा नम्बर 82/288 अनुसार पुराने सामलाती कुऐं अनुसार स्थित स्थान में त्रुटिपूर्ण तरमीम कर दिया गया। जो कि खसरा नम्बर 75 के पास ही स्थित पक्षकारों के पुराने कुऐं अनुसर ही खसरा नम्बर 73 रकबा0.06है0 किस्म गै0मु0चाह अनुसर राजस्व नक्शा व रिकार्ड कायम करना चाहिए, जिसके प्रार्थीगण अधिकारी है। खसरा नम्बर 73 साबिक खसरा नम्बर 82/288 अनुसार प्रार्थी सं0 2 एवं अप्रार्थीगण सं0 2 लगायत 9 के सामलाती गै0मु0चाह की भूमि मे खसरा नम्बर 75 अनुसार राजस्व नक्शें की तरमीम व रिकार्ड परिवर्तन प्रार्थीगण के विधिक अधिकारों के विरूद्ध होने से दुरूस्तीय है। अतः वादग्रस्त भूमियों के संबंध में न्यायालय द्वारा पारित राजस्व वाद सं0 98/2005 प्रभूदयाल बनाम बद्रीनारायण के निर्णय व डिक्री की पालनार्थ इजराय प्रकरण सं0 05/2007 में पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री के अनुशरण में कायम राजस्व नक्शों को मध्य नजर रखते हुए वर्तमान खसरा नम्बर 381/70, 383/72, 384/74, 386/91 के राजस्व नक्शों पूर्वानुसार एवं खसरा नम्बर 73 रकबा 0.0600है0 किस्म गै0मु0चाह अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 75 के राजस्व नक्शें में मुताबिक रकबा बरारी दुरूस्त करने के आदेश दिया जावें। तदानुसार वर्तमान खसरा नम्बर 380/70, 382/72, 385/74, 387/91, 75 के राजस्व नक्शों को रकबा बरारी अनुसार एवं पूर्वानुसार दुरूस्त करने के आदेश दिया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

3/3

उक्त प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 से जारी की गई। अप्रार्थी सं0 2 लगायत 9 ने जरिये अधिवक्ता श्री सत्यनारायण माहेश्वरी के जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में रकबा बरारी अनुसार राजस्व नक्शें में दुरूस्तीकरण करने की कृपा करें। अप्रार्थी सं0 1 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/एल0आर0/24/3624 दिनांक 03.07.24 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि नक्शे में खसरा नम्बर 380/70, 382/72, 381/70, 383/72 की तरमीम पूर्व नक्शें एकीकरण लटठाशीट अनुसार उत्तर दक्षिण के बजाय पूर्व पश्चिम तथा खसरा नम्बर 387/91, 386/91 की तरमीम पूर्व एकीकरण लटठाशीट के अनुसार पूर्व पश्चिम के बजाय उत्तर दक्षिण में किया जाना उचित है।

अतः वकील उभय पक्षों व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थीगणों के प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर व वकील उभय पक्षों की बहस का मनन करने पर प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राज0 भूराजस्व अधि0 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ को आदेश दिया जाता है कि ग्राम जगमालपुरा, पटवार हल्का बूज, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित भूमि में वर्तमान खसरा नम्बर 380/70, 382/72, 381/70, 383/72 की तरमीम पूर्व नक्शें एकीकरण लटठाशीट अनुसार उत्तर दक्षिण के बजाय पूर्व पश्चिम तथा खसरा नम्बर 387/91, 386/91 की तरमीम पूर्व एकीकरण लटठाशीट के अनुसार पूर्व पश्चिम के बजाय उत्तर दक्षिण किया जाकर नक्शा दुरूस्त कर वर्तमान नक्शें में तरमीम की जावें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 29.08.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

(ललित मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला जयपुर